फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती केसरबाई **विपक्षी : श्री डालू**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 311/14**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प बडियार में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व पूर्व में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी हैं। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपना जवाब पेश किया जिसमें आराजी नम्बर 206/142 पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करने का कथन किया हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा आराजी नम्बर 206/142 पर प्रतिवादी सं. 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व वाद ड्रोप किया जा चुका हैं। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा आराजी नम्बर 206/142 पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करने का कथन अपने जवाब दावें में पेश कर रखा हैं। वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 206/142 पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। प्रकरण में आराजी नम्बर 206/142 वादीगण के नाम दर्ज होकर वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 2 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादीगण ने अपने वाद में उक्त आराजी नम्बर में प्रतिवादीगण के द्वारा दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा किसी प्रकार का कब्जा नहीं करने का कथन अपने जवाब में पेश किया हैं। चूंकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 206/142 का वादीगण खातेदार काश्तकार होने से वादीगण को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा हक अधिकार है, जिसमे बाधा पहूंचाने का प्रतिवादीगण को कोई हक नहीं हैं इसलिए वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा नाई का ढाणा पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 206/142 किता 1 रकबा 1 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 2 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 13:46:45 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती केसरबाई पत्नी मांगु जाट निवासी नाई का ढाणा, बडियार तह. मावली।
2. श्री रमेश पिता मांगु जाट निवासी नाई का ढाणा, बडियार तह. मावली।
3. श्री देवीलाल पिता मांगु जाट निवासी नाई का ढाणा, बडियार तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री डालु पिता उदा जाट निवासी नाई का ढाणा, बडियार तह. मावली। **ड्रोप किया।**
2. श्री रूपा पिता घीसा जाट निवासी नाई का ढाणा, बडियार तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 311/14 (वाद) GCMS No. – 2014/00433

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा नाई का ढाणा पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 206/142 किता 1 रकबा 1 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 2 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 13:16:45 IST
Reason: SelfAttested